न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(भरतपुर)

प्र0सं0, 257/2007,(जी.सी.एम.एस. न. 2007/00284) व इजलास हेमन्त कुमार

(R.A.S)

उनवान

1. हिम्मत सिंह पुत्र गिर्राज जाति जाट निवासी ग्राम बहज तहसील डीग(भरतपुर)राज0

1/1. किरन पत्नी स्व0 हिम्मत सिंह जाति जाट निवासी ग्राम बहज तहसील डीग(भरतपुर)राज0

1/2. रजनी पुत्री स्व0 हिम्मत सिंह पत्नी वीरेन्द्र सिंह } नि0 ग्राम बहज तहसील डीग हाल नि0

1/3. मोनिका पुत्री स्व0 हिम्मत सिंह पत्नी देवेन्द्र सिंह } ग्राम चिकसाना तह0 व जिला भरतपुर,

1/4. शारदा उर्फ साधना देवी पुत्री स्व0 हिम्मत सिंह पत्नी श्री ठाकुरसिंह जाति जाट हाल नि0 गहर्रा खुर्द तहसील किरावली जिला आगरा(उ0प्र0)

—वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग जिला भरतपुर(राज0)

—प्रति0

दावा बाव उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 88,89 राज0 टि0 एक्ट,

दिनांक: 19.10.2022

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बर 7299/0.16, का हिस्सा 9/16 वाके ग्राम बहज द्वितीय तहसील डीग में स्थित है। उक्त आराजी को गत खसरा नम्बर 4285 व 4746 से बनाया गया है। खसरा नम्बर 4285 के पृथक नम्बर बनाया गया है, जिस पर कोई विवाद नहीं है गत खसरा नम्बर 4746 प्रार्थी को दिनांक 16.06.1971 को आवंटन कमैटी द्वारा आवंटित किया गया था तथा वादी को मौके पर आवंटन कमैटी द्वारा कब्जा संभाल दिया था वादी तभी से उक्त खसरा नम्बर के 9/16 हिस्से पर काबिज काश्त है इस बर्ष भी वादी द्वारा उक्त आराजी में सरसों की फसल बोई हुई है। गत खसरा नम्बर 4746 के उक्त खसरा नम्बर के अतिरिक्त खसरा नम्बर 7298/0.13 और बनाया गया है, जिस पर भी वादीगण को गैर खातेदार दर्ज किया हुआ था वादी द्वारा इस नम्बर के बावत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग में वाद प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय द्वारा दिनांक 19.07.2007 को डिक्री कर दिया गया, इस दावे में सहवन से उक्त खसरा नम्बर 7299/0.16का हिस्सा 9/16 रह गया इस कारण यह वाद प्रस्तुत किया गया। उक्त आराजी का सम्बत 2029 से सम्वत 2032 की जमाबन्दी परत पटवार में वादी के नाम गैर खातेदारी का इन्द्राज दर्ज किया गया है। इसके बाद दा0खा0 नम्बर 1366 से वादी को

Scanned by AnyScanner

खातेदारी अधिकार दे दिये गये। परन्तु बिना किसी अधिकार के भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा राजस्व रिकार्ड में वादी को खातेदार के स्थान पर गैर खातेदार दर्ज किया गया है। प्रति0 का उक्त आराजी से वाद आवंटन कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं रहा है ना ही उक्त भूमि कस्टोडियन की भूमि है और ना ही वादी पर राज्य सरकार की कोई राशि इस आराजी के सम्बन्ध में बकाया है।

अतः निवेदन है कि आ.ख.नम्बर 7299/0.16, का हिस्सा 9/16 वाके ग्राम बहज द्वितीय तहसील डीग को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार दर्ज कराये जाने के आदेश फरमायें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। श्री नीरज वर्मा एडवोकेट के द्वारा वादी की मृत्यु होने पर मय वकालतनामा दिनांक 10.07.2014 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा.दी. व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 व 151 जा.दी. एवं प्रार्थना म्याद अधिनियम 5 प्रस्तुत किये गये जिन्हें वाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर वादी के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर संशोधित शीर्षक कायम किया गया।

दिनांक 02.09.2015,को सरकार/तहसीलदार डीग की ओर से जबाव पेश हुआ। जबाव सरकार का अध्ययन किया गया।

दावा व जबाव दावा की प्लीडिंग के आधार पर निम्नांनुसार तनकी कायम की गईः–

1. आया वादीगण विवादित आराजी पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है।
2. दादरसी,

साक्ष्य वादीगण में वादीगण संख्या 1/3,मौनिका का दिनांक 13.07.2017 को शपथ पेश किया गया, जिस पर दिनांक 02.11.2017 को बयान दर्ज किये गये। दिनांक 19.12.2017 को शेष साक्ष्यवादी में किरनदेई ने अपना शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर दिनांक 28.02.2018 को वादीगण किरनदेई गबाह शारदा के बयान दर्ज किये गये।

दिनांक 30.09.2022 को वकील वादीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि वर्णित आराजीयात पर मौके पर पूर्व से ही वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। वकील वादीगण ने सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड/कानूनी द्वष्टांतों के आधार पर दावा वादीगण डिक्री किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में नकल जमाबन्दी सम्बत 2060–2063(पी–1,) नकल मिलान क्षेत्रफल(पी–2,), नकल खतौनी जमाबन्दी सम्बत 2040(पी–3), नकल दाखिला खारिज नम्बर 1366 वाके ग्राम बहज

Scanned by AnyScanner

प्रथम (पी–4), नकल जमाबन्दी सम्बत 2029–2032(पी–5) तथा नकल आवंटन आदेश दिनांक 16.06.1971(पी–6) पेश किये गये।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन/अवलोकन किया गया तथा वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया।

तनकीनुसार दावा का निर्णय निम्नांनुसार हैः–

<u>तनकी संख्याः–1,</u> वर्णित आराजी आ.ख.नम्बर 7299/0.16, के हिस्सा 9/16 भाग, वाके ग्राम बहज द्वितीय तहसील डीग में स्थित है। गत खसरा नम्बर 4746 प्रार्थी को दिनांक 16.06.1971 को आवंटन कमैटी द्वारा आवंटित किया गया तथा वादी को उक्त खसरा नम्बर के 9/16 हिस्से पर काबिज काश्त है बन्दोवस्त विभाग द्वारा गलत रूप से उक्त आराजी को खातेदार के स्थान पर गैर खातेदार दर्ज किया जाना प्रतीत है तथा सम्बन्धित वर्णित आराजी के सम्बन्ध में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड, वादीगण के विद्वान वकील की बहस से वादीगण को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया जाना उचित है। अतः तनकी संख्या 1, वादी के पक्ष में तय की जाती है।

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत बहस, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, बयानात, कानूनी दृष्टांत के आधार पर हम वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0 टि0 एक्ट, को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि :–

वादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य से इस शर्त पर **स्वीकार** किया जाता है कि वादीगण पर कोई राजकीय राशि बकाया नहीं होने पर ग्राम बहज द्वितीय तहसील डीग के आ.ख.नम्बर 7299/0.16, के हिस्सा 9/16 भाग पर वादीगण को गैर खातेदार से खातेदारी दिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार डीग राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही से पूर्व यह सुनिश्चित करलें कि वादीगण पर कोई राजकीय शुल्क तो बकाया नहीं है,तथा नियमानुसार राजकीय शुल्क जमा राजकोष किया जा चुका है की जॉच पश्चात ही उक्त आराजीयात का राजस्व रिकार्ड में विधिनुसार अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करावें। वर्णित आराजी में रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग(भरतपुर)

निर्णय आज दिनांक 19.10.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग(भरतपुर)

Scanned by AnyScanner